शा०प०सं०–५३६/पचास–यु०क०–१३७/७६

प्रेषक,

श्री जयपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रशासकीय समादेष्टा,
प्रादेशिक विकास दल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

युवा कल्याण अनुभाग: लखनऊ: दिनांक २२ मार्च, १९८८

विषय:– प्रशासकीय अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं० १४९२/एक–६९ (बी)/१९८७ दिनांक १५ मई, १९८७ के संदर्भ में तथा इसी विषय से संबंधित ग्राम्य विकास अनुभाग–२ के शासनादेश सं० २३२५/३८–२–१३७ प्रा०वि०द०/७६ दिनांक १–७–१९७७ में आंशिक संशोधन करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग से संबंधित जनपद स्तर के लिपिक/स्टोर कीपर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों से संबंधित विभिन्न प्रशासकीय अधिकारों को अनुलग्नक में उल्लेखानुसार प्रतिनिहित करते हैं।

२– आप कृपया इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि प्रतिनिहित अधिकारों का सम्बन्धित स्तर पर पूर्ण रूपेण प्रयोग किया जाये।

भवदीय,

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(जयपाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

संख्या: ५३६(१)/पचास-यु०क०-१३७/७६ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(१) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(२) समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

(३) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(४) समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रा०वि०द० अधिकारी।

आज्ञा से,

(जयपाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

शासकीय आदेश ५३६/पचास–यु०क०–१३७/७६

दिनांक २२ मार्च, १९८८ का अनुलग्नक।

क्रम सं०	कर्मचारी वर्ग	अधिकार का प्रकार	किसको प्रतिनिधानित किया गया
१–	लिपिक एवं स्टोर कीपर तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (जनपद स्तर)	(१) नियुक्ति एवं पदच्युत (२ स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले को मण्डल के अन्दर (सामान्य परिस्थितियों में) (लिपिक/स्टोर कीपर तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग) (३) स्थानान्तरण सम्पूर्ण प्रदेश में (लिपिक एवं स्टोर कीपर) विशेष परिस्थितियों में	निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रशासकीय समादेष्टा, प्रादेशिक विकास दल, उत्तर प्रदेश।
		(४) निलम्बन एवं समस्त गौड़ दण्ड–	जिलाधिकारी
		(५) भर्त्सना/दक्षतारोक, अस्वस्थता अवकाश, चरित्र पंजिका में अंकन एवं उपार्जित अवकाश वार्षिक वेतन वृद्धि, भ्रमण की स्वीकृति तथा यात्रा भत्ता बिलों की स्वीकृति आदि	जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी।

(जयपाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या : १२९८/पचास–यु०क०–८८–१३७ पी वी डी/७६

प्रेषक,

श्री जयपाल सिंह,
संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक युवा कल्याण एवं
प्रशासकीय समादेष्टा, प्रादेशिक विकास दल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

युवा कल्याण अनुभाग: लखनऊ, २४ अक्टूबर, १९८८

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

विषय :—प्रशासकीय अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०—१८५/एक—६९(वी)/१९८७ए दिनांक—१८.४.८८ के संदर्भ में, तथा शासनादेश सं०—५३६/पचास—यु०क०—१३७/७६, दिनांक—२२.३.१९८८ में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास का विभाग से सम्बन्धित जनपद स्तर के लिपिक/स्टोर कीपर के पदों से सम्बन्धित विभिन्न प्रशासकीय अधिकारों को अनुलगनक में उल्लेखानुसार प्रतिनिहित करते हैं।

२. आप कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि प्रतिनिहित अधिकारों का सम्बन्धित स्तर पर पूर्णरूपेण प्रयोग किया जाये।

भवदीय,

ह०/—जयपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या : १२९८ (१) /पचास—यु०क०—८८—१३७/७६ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(१) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(२) समस्त संयुक्त विकास/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(३) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
(४) समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, उ० प्र०।

आज्ञा से,

ह०—जयपाल सिंह, सं० सचिव।

शासनादेश सं० —१२९८/पचास—यु०क०—१३७/७६ का अनुलग्नक

क्र० सं०	कर्मचारी वर्ग	अधिकार का प्रकार	किसे प्रतिनिहित	किसे प्रतितिहत किया गया
१.	लिपिक/स्टोर कीपर	भर्त्सना, दक्षतारोक ६० दिन से अधिक अस्वस्थता /अर्जित अवकाश तथा चरित्र पंजिका में अंकन	जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी	मुख्यविकास अधि०/ अपर जिलाधिकारी (वि)/जिला विकास अधिकारी
२.	—तदैव—	चरित्र पंजिका में अंकन की संस्तुति	—	जिला युवा कल्याण एवं प्रा०वि०द०अधि०

ह०/
जयपाल सिंह,
संयुक्त सचिव।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com